भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3068
06 अगस्त, 2026 को उत्तर देने के लिए

तमिलनाडु में समुद्री खाद्य प्रसंस्करण योजनाएं

†3068. श्री नवसकनी के.:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में, विशेष रूप से रामनाथपुरम जिले में समुद्री खाद्य प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और कोल्ड चेन अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए कोई योजना कार्यान्वित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) रामनाथपुरम जिले सहित तमिलनाडु में स्वीकृत या समर्थित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं, एकीकृत कोल्ड चेन परियोजनाओं, फ्रीजिंग, पैकेजिंग, परीक्षण, गुणवत्ता आश्वासन और मूल्य संवर्धन अवसंरचना का ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में समुद्री खाद्य प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन परियोजनाओं के लिए स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है:

(घ) क्या सरकार ने रामनाथपुरम जिले से प्रसंस्कृत समुद्री उत्पादों के लिए निजी निवेश, प्रौद्योगिकी उन्नयन, उत्पाद विविधीकरण, गुणवत्ता प्रमाणन, ब्रांडिंग और निर्यात संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त जिले में फसल कटाई-पश्चात् नुकसान को कम करने, मूल्य संवर्धन बढ़ाने, रोजगार सृजित करने तथा मछुआरों एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों की आय बढ़ाने के लिए क्या पहलें प्रस्तावित हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
(श्री चिराग पासवान)

(क): समुद्री खाद्य प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और शीत श्रृंखला अवसंरचना सहित समग्र खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को मजबूत करने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) तीन प्रमुख योजनाओं को कार्यान्वित्त कर रहा हैः

(i) केंद्रीय क्षेत्र की प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई)

(ii) केंद्रीय क्षेत्र की खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई)

(iii) केंद्र प्रायोजित प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना।

इन योजनाओं को तमिलनाडु और उसके रामनाथपुरम जिले सहित पूरे देश में कार्यान्वित्त किया जा रहा है।

(ख): निम्नलिखित तालिका तमिलनाडु राज्य में पीएमकेएसवाई की विभिन्न घटक योजनाओं के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं का विवरण प्रदान करती हैः

क्र.सं.	**पीएमकेएसवाई के अंतर्गत घटक योजना**	**सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या**	**अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या**
1	कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना सृजन	कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर	14
2	बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेज़ सृजन [दिनांक	बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड	9

	01.04.2021 से बंद]	लिंकेजेज़ परियोजना	
3	एकीकृत शीत शृंखला एवं मूल्य वर्धन अवसंरचना	एकीकृत शीत शृंखला परियोजना	26
4	खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार	खाद्य प्रसंस्करण इकाई	43
5	खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना (एफएस एंड क्यूएआई)- खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला)	खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला	23
6	मेगा फूड पार्क योजना [दिनांक 01.04.2021 से बंद]	मेगा फूड पार्क परियोजना	1
7	ऑपरेशन ग्रीन्स	ऑपरेशन ग्रीन्स परियोजना	4
8	खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अनुसंधान और विकास	अनुसंधान और विकास परियोजना	51
	कुल		**171**

दिनांक 31.01.2026 तक, कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू) द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर तमिलनाडु में 188 कोल्ड स्टोरेज बनाए गए हैं, जिसमें एमओएफपीआई की विभिन्न पीएमकेएसवाई योजनाओं के अंतर्गत घटक सुविधाओं के रूप में स्थापित कोल्ड स्टोरेज शामिल हैं।

पीएलआईएसएफपीआई के अंतर्गत, अनुमोदित आवेदकों की 19 इकाइयाँ वर्तमान में तमिलनाडु में कार्यरत हैं। इन आवेदकों ने विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण खंडों में कुल 390 करोड़ रुपये का निवेश किया है, जिससे राज्य में खाद्य प्रसंस्करण क्षमता में प्रति वर्ष 1.79 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है।

पीएमकेएसवाई के अंतर्गत, दिनांक 30.06.2026 तक, रामनाथपुरम जिले में किसी भी परियोजना को विशिष्टतया मंजूरी नहीं दी गई है।

(ग) से (ङ): पीएमकेएसवाई और पीएलआईएसएफपीआई मांग आधारित योजनाएं हैं जो निधि की उपलब्धता के आधार पर अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के माध्यम से देश भर से आवेदन आमंत्रित करती हैं। पात्र संस्थाएं खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं की स्थापना के लिए अनुदान और सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। पीएमकेएसवाई के अंतर्गत, अनुसंधान एवं विकास घटक क्षेत्रीय नवाचारों को विकसित करने में विश्वविद्यालयों, आईआईटी, सरकारी संस्थानों, अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं और सीएसआईआर-मान्यता प्राप्त निजी इकाइयों को सहायता प्रदान करता है। पीएलआईएसएफपीआई के अंतर्गत, समुद्री उत्पाद वृद्धिशील बिक्री पर प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन के लिए अर्हता प्राप्त हैं, और यह योजना विदेशों में ब्रांडिंग और विपणन के लिए 50% वित्तीय प्रोत्साहन भी प्रदान करती है (बिक्री का 3% या वार्षिक 50 करोड़ रुपये तक)।

केंद्र प्रायोजित पीएमएफएमई योजना सूक्ष्म उद्यमों को 35% पूंजीगत सब्सिडी (10 लाख रुपये प्रति यूनिट तक) के साथ सहायता करती है और ब्रांडिंग के लिए 50% अनुदान सहायता प्रदान करती है।

ये योजनाएं सामूहिक रूप से निजी निवेश को बढ़ावा देती हैं, प्रसंस्करण क्षमता का विस्तार करती हैं और समुद्री उत्पादों के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन, उत्पाद विविधीकरण, गुणवत्ता प्रमाणन और ब्रांडिंग को बढ़ावा देती हैं। बदले में, ये फसल कटाई के बाद के नुकसान को कम करती हैं, घरेलू मूल्य वर्धन को बढ़ावा देती हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करती हैं, और मछली किसानों और खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों की आय में वृद्धि करती हैं।

पिछले तीन वर्षों में तमिलनाडु में पीएमकेएसवाई के अंतर्गत किसी भी समुद्री-विशिष्ट परियोजना को मंजूरी नहीं दी गई है।
